न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 115/2018 GCMS NO 2018/00261

1. मोहन सिह पुत्र भंवर सिह
2. मदन सिह पुत्र प्रताप सिह
3. भीम सिह पुत्र जस्सू सिह
4. रिंकू सिह पुत्र जस्सू सिह
5. श्रीमती ललिता पत्नि स्व0जस्सू सिह समस्त जातियान राजपूत निवासी गहरोली तहसील टोडाभीम जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. शीला देवी पत्नि स्व0छाजूराम
2. धर्मेन्द्र पुत्र छाजूराम
3. कपिल पुत्र छाजूराम
4. अंकित पुत्र छाजूराम
5. लोकेन्द्र पुत्र सतीश नाबालिग संरक्षिका दादी श्रीमती शीलादेवी पत्नि स्व0छाजूराम समस्त जातियान महाजन निवासी घाटा बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा
6. गिर्राज सिह पुत्र भंवर सिह राजपूत
7. मुन्ना सिह पुत्र प्रहलाद सिह
8. करण सिह पुत्र प्रहलाद सिह
9. गोपाल सिह पुत्र प्रहलाद सिह
10. लखन सिह पुत्र प्रताप सिह समस्त जातियान राजपूत निवासीयान गहरोली तहसील टोडाभीम जिला करौली
11. विनोद कौशिक पुत्र रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी 3/158 गली गंगाराम तेलीपाडा शाहदरा दिल्ली
12. बालाजी सेवा समिति रजिस्टर्ड 260/1 गली न0 12 आंगल पर्वत दिल्ली जरिये लालाराम पुत्र बलबन्तसिह राठौर निवासी 223 ए गली नम्बर 11 दिल्ली
13. राधारमण पुत्र पूरणमल जाति महाजन निवासी ए–33 ईस्ट आफ कैलाश नई दिल्ली
14. श्रीमती सावंति देवी पत्नि संतराम जाति ब्राहम्ण निवासी महरौली नई दिल्ली
15. पवनधाम धर्माथ ट्रस्ट सोसायटी दिल्ली जरिये जमना लाल पुत्र रामस्वरूप अगग्रवाल निवासी ई 281 शास्त्री नगर दिल्ली
16. श्रीराम चेरिटेवल ट्रस्ट 106 सम्मन बाजार भोगल नई दिल्ली जरिये मैनेजर री राधारमण गुप्ता पुत्र पूरणमल गुप्ता जाति महाजन निवासी भोगल नई दिल्ली
17. गोर्वधन सिह पुत्र स्व0 सुलतान सिह
18. कमल सिह पुत्र स्व0 सुलतान सिह
19. सम्पत पुत्र स्व0 सुल्तान सिह
20. कैलाश पुत्र स्व0सुलतान सिह
21. भगवान सिह उर्फ पिंकी पुत्र स्व0सुलतान सिह
22. फूल सिह पुत्र हरिसिंग उर्फ हीरासिह

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

23. तेजसिह पुत्र हरिसिंग उर्फ हीरासिह जातियान राजपूत निवासी गहरौली तहसील टोडाभीम जिला करौली
24. विमल कुमार पुत्र सुरेश चंद
25. चन्द्रशेखर पुत्र सुरेश चंद
26. खेमचंद पुत्र सुरेश चंद
27. जितेन्द्र कुमार पुत्र सुरेश चंद
28. शीला देवी पत्नि सुरेश चंद समस्त जातियान महाजन निवासीयान टोडाभीम जिला करौली
29. लक्ष्मीनारायण बंसल पुत्र बाबूलाल बजाज जाति महाजन निवासी टोडाभीम जिला करौली
30. नंदकिशोर दत्तक पुत्र बद्री प्रसाद जाति छीपी निवासी चोटियापाडा टोडाभीम जिला करौली
31. गणपत सिह पुत्र भंवर सिह जाति राजपूत निवासी गहरोली तहसील टोडाभीम जिला करौली
32. श्यामलाल दत्तक पुत्र देवीसहाय निवासी 35/721 नोविस्वा लोहामंण्डी आगरा यू0पी0
33. रविनन्दन पुत्र हरीदेव
34. [illegible]नीलम पत्नि रविनंन्दन जातियान ब्राहम्ण निवासी 16 सुखबिहार दिल्ली 51
35. [illegible]डयाराम पुत्र जीतूमल जाति माली निवासी चादेरा हालवासी बालाजी तहसील सिकराय जिला दौसा
36. [illegible]जगन पुत्र सोनपाल जाति ब्राहम्ण निवासी पाडला तहसील टोडाभीम जिला करौली
37. धुन्धीराम पुत्र जौहरी जाति मीना निवासी बाल का पुरा तहसील टोडाभीम जिला करौली
38. श्रीमती मुन्नी देवी पत्नि मदनसिह जाति राजपूत निवासी मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
39. कप्तान सिह पुत्र रघुवीर सिह जाति राजपूत निवासी तिगांवा हालवासी गहरौली तहसील टोडाभीम जिला करौली
40. बाबुददीन पुत्र इलाहबक्श जाति मुसलमान निवासी सब्जीमण्डी टोडाभीम जिला करौली
41. दौलत सिह पुत्र ईश्वर सिह जाति राजपूत निवासी गहरौली तहसील टोडाभीम जिला करौली
42. प्रवीण कुमार पुत्र राजबहादुर गोयल जाति महाजन निवासी सहारनपुर उ0प्र0 अध्यक्ष श्री बालाजी जनकल्याण समिति रजिस्टर्ड
43. रघुराज सिह पुत्र कल्याण सिह राजपूत निवासी गहरौली तहसील टोडाभीम जिला करौली
44. उमेश पुत्र विशम्भर दयाल
45. ओमप्रकाश पुत्र घासीराम जातियान महाजन निवासीयान मेहन्दीपुर तहसील टोडाभीम जिला करौली
46. श्रीमती बबीता ओगराय पत्नि प्रभू ज्योति सिह जाति पंजाबी निवासी जयपुर
47. अनिल कुमार गर्ग श्री पुरूषोतम दयाल गुप्ता जाति महाजन निवासी हापुर उ0प्र0
48. सूर्यप्रकाश पुत्र केसीराम बंसल निवासी पीतमपुरा नई दिल्ली
49. बलबन्त गंभीर पत्नि महेन्द्रप्रताप जाति पंजाबी निवासी एन 17 सैक्टर 25 नोएडा जिला गौतमबुद्व नगर उ0प्र0
50. विनोद कुमार बिंदल पुत्र सुशील कुमार जाति महाजन निवासी शिव सुनील सदन बी 2 विवेक बिहार नई दिल्ली
51. श्री बाजाली मण्डल जरिये श्यामबाबू अग्रवाल पु[illegible]ी अग्रवाल निवासी भिण्ड मध्यप्रदेश
52. जगदीश प्रसाद पुत्र मामचंद शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी [illegible] दिल्ली
53. मानसिह पुत्र शंभूसिह, जाति राज[illegible] निवासी [illegible] तह0 सिकराय जिला दौसा
54. सत्यनारायण पुत्र विशम्भर दयाल
55. उमेश पुत्र विशम्भर दयाल जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तह0 सिकराय जिला दौसा

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

56. दौलतसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत निवासी गहरौली तह0 टोडाभीम जिला करौली।
57. केदारलाल पुत्र सम्पतराम जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तह0 सिकराय जिला दौसा
58. मनोहरलाल पुत्र जगन्नाथलाल जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तह0 सिकराय जिला दौसा
59. रामावतार पुत्र शिम्भूदयाल जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तह0 सिकराय जिला दौसा
60. धर्मेन्द्र पुत्र छाजूराम जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तह0 सिकराय जिला दौसा
61. घनश्याम पुत्र गिर्राज प्रसाद जाति माली निवासी सब्जीमण्डी टोडाभीम जिला करौली
62. कल्याण सिंह पुत्र बनेसिंह निवासी निवासी ए–33 ईस्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली
63. कैलाश सिंह पुत्र कुन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी बडा गांव तह0 वसवा जिला दौसा
64. शिवदयाल पुत्र मांगीलाल जाति महाजन निवासी घाटा बालाजी तह0 सिकराय जिला दौसा
65. सुरेन्द्र कुमार पुत्र मूलचन्द जाति महाजन निवासी शिवकॉलोनी बालाजी तह0 सिकराय जिला दौसा

66. घासीलाल पुत्र किशोरीलाल
67. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र किशोरीलाल
68. श्याम सुन्दर पुत्र किशोरीलाल
69. मगनी देवी पत्नि किशोरीलाल

} समस्त जातियान चौधरी खण्डेलवाल निवासी घाटा मेहन्दीपुर बालाजी तह0 टोडाभीम जिला करौली।

70. मानसिंह पुत्र छीतरसिंह जाति राजपूत निवासी गहरौली तह0 टोडाभीम जिला करौली

71. जीतेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र सत्यनारायण
72. सत्यप्रकाश पुत्र सत्यनाराण
73. विमला देवी पत्नि सत्यनाराण

} जाति ब्राहम्ण निवासी घाटा मेहन्दीपुर बालाजी तह0 टोडाभीम जिला करौली

74. स्टेट ऑफ राजस्थान तामील जरिये तहसीलदार टोडाभीम।

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 4/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.06 न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम)

अभिभाषक अपीला0 श्री पी0एल0गोयल
अभिभाषक रैस्पो0 श्री सुनिल कुमार जिंदल

दिनांक 14.01.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.06 न्यायालय उप जिला कलक्टर, टोडाभीम पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा एक वाद पत्र बाबत डिवीजन आफ होल्डिग व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 16, 78/327, 80/326,85/324,85/325,87,15,59/319, 74/321,75/320,77,78,80,76,79,75,84/322, 74,83,84/823,85,84,88,89,81,82,56/336,86 ग्राम धेरोली तहसील टोडाभीम मे स्थित है। ख0न0 16 मे वादी न0 1 छाजूराम हिस्सा 29/360 तथा वादी न0 4 कैलाश गिर्राजसिह,जस्सूसिह,भगवान सिह हिस्सा 1/60 तथा हिस्सा 1/135 वादी गिर्राज सिह भगवानसिह तथा वादी न0 5 बजरंग सिह का 1/12 तथा वादी न0 6 ता 8 कमला गणपतसिह व महिपाल सिह हिस्सा 1/12 है तथा वादी प्रतापसिह हिस्सा 1/60 तथा भूमि ख0न0 78/327,80/326,85/324,85/325,87,15 मे वादी छाजूराम हिस्सा 1/72 वादी न0 2 ता 4 हिस्सा 1/60 गिर्राज सिह,भगवान सिह हिस्सा 1/35

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वादी न0 5 बजरंग सिह हिस्सा 1/12 वादी मुन्ना सिह, करन सिह, गोपाल सिह हिस्सा 1/12 तथा वादी न0 9 प्रतापसिह हिस्सा 1/60 तथा भूमि ख0न0 59/319, 74/321 , 75/320 मे वादी छाजूराम हिस्सा 1/72 वादी न0 2 ता 4 हिस्सा 1/60, गिर्राज सिह,भगवानसिह हिस्सा 1/135, वादी न0 5 बजरंग सिह हिस्सा 1/12 वादी न0 6 ता 8 मुन्ना सिह,गोपाल, करन हिस हिस्सा 1/12 तथा वादी न0 9 प्रताप सिह हिस्सा 1/60 तथा भूमि ख0न0 77,78,80,76 मे वादी न0 1 छाजू सिह हिस्सा 29/360 तथा वादी न0 2 ता 4 हिस्सा 1/60 व वादी गिर्राज सिह भगवानसिह हिस्सा 1/135 तथा वादी न0 5 बजरंग सिह हिस्सा 1/12 वादी न0 6 ता 8 हिस्सा 1/12, वादी न0 9 प्रतापसिह हिस्सा 1/60 तथा ख0न0 79 मे वादी न0 1 हिस्सा 29/360 तथा वादी न0 2 ता 4 हिस्सा 1/60 , वादी गिर्राज सिह भगवानसिह हिस्सा 1/135 , वादी न0 5 हिस्सा 1/12 वादी न0 6 ता 8 हिस्सा 1/12 वादी न0 9 हिस्सा 1/60 तथा ख0न0 75, 84/322 मे वादी न0 1 हिस्सा 1/72 वादी न0 2 ता 4 हिस्सा 1/60 वादी न0 5 हिस्सा 4/45 वादी न0 6 ता 8 हिस्सा 4/45 वादी न0 9 हिस्सा 1/12 तथा ख0न0 83 मे वादी वादी न0 1 हिस्सा 1/72 वादी जस्सूसिह हिस्सा 1/60 वादी गिर्राज सिह,भगवानसिह हिस्सा 1/135 व वादी न0 5 बजरंग सिह हिस्सा 1/12 वादी न0 6 ता 8 हिस्सा 1/12 वादी न0 9 हिस्सा 1/12 तथा ख0न0 84/323 व 85 मे वादी न0 1 हिस्सा 1/72 वादी न0 2 ता 4 हिस्सा 1/60 वादी गिर्राजसिह भगवानसिह हिस्सा 1/135 तथा वादी न0 5 हिस्सा 1/16 वादी न0 6 ता 8 हिस्सा 1/16 वादी न0 9 हिस्सा 1/16 तथा ख0न0 84,88,89 मे वादी न0 1 हिस्सा 1/72, वादी न0 2 ता 4 हिस्सा 1/60 वादी गिर्राज सिह भगवान सिह हिस्सा 1/135 वादी न0 5 हिस्सा 1/12 वादी न0 6 ता 8 हिस्सा 1/12 वादी न0 9 प्रतापसिह हिस्सा 1/60 तथा भूमि ख0न0 56/336 मे वादी न0 1 हिस्सा 1/72 वादी न0 2 ता 4 हिस्सा 1/60 वादी भगवानसिह गिर्राजसिह हिस्सा 1/135 तथा वादी न0 5 हिस्सा 1/12 वादी न0 6 ता 8 हिस्सा 1/12 व वादी न0 9 प्रतापसिह हिस्सा 1/60 तथा भूमि ख0न0 86 मे वादी न0 1 हिस्सा 1/72 वादी न0 2 ता 4 हिस्सा 1/160 तथा भूमि ख0न0 86 मे वादी न0 1 हिस्सा 1/72 वादी न0 2 ता 4 हिस्सा 1/160 वादी गिर्राजसिह,भगवानसिह हिस्सा 1/135 वादी न0 5 हिस्सा 1/12 वादी न0 6 ता 8 हिस्सा 1/12 वादी न0 9 हिस्सा 1/60 के खातेदार काश्तकार है तथा मौजूद रेवेन्यू रिकार्ड मे इसी प्रकार खातेदारी दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि वर्णित मद न0 1 वाद पत्र का मौके पर बाहमी बंटवारा हो रहा है तथा मुताबिक बंटवारा भूमि ख0न0 87 रकबा 18 ऐयर ग्राम धेरोली वादी न0 1 छाजू के हिस्से व कब्जे मे आया। वादी छाजूराम इस भूमि पर सन 1982 से आज तक लगातार काबिज है। वादीगण की इस भूमि से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता ताल्लुक नही है। मुताबिक बहामी बंटवारा ख0न0 78/327 रकबा 16 ऐयर, 78 रकबा 15 ऐयर, 77 रकबा 15 ऐयर, 76 रकबा 27 ऐयर, 75 रकबा 42 ऐयर कुल रकबा 1.15 है0 भूमि वादी न0 2 ता 9 के हिस्से मे आई तथा आज भी काबिज है। जिससे प्रतिवादीगण का कोई संबंध वास्ता नही है। भूमि का बाहमी बंटवार हुआ है। प्रतिवादीगण गणपतसिह व अन्य ने अन्य प्रतिवादि[illegible] कि इस आराजीयात का तहसील मे चलकर बंटवारा करा लेते है तो उन्होने इंकार कर दिया [illegible] दावा करना आवश्यक हुआ। अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण न0 1 ता 53 [illegible] किया जाकर भूमि ख0न0 87 रकबा 18 ऐयर का वादी न0 1 छाजूराम के नाम खातेदारी दर्ज की [illegible] तथा भूमि ख0न0 78/327,78,77,76,75 कुल रकबा 1.15 है0 का वादी न0 2 ता 9 के नाम खातेदारी दर्ज की जावे इसी अनुसार राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:15 IST
Reason: Self Attested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रिकार्ड मे दर्ज की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण द्वार चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मुताबिक वाद पत्र एवं जबाबदावे अनुसार तहसीलदार से कब्जा मौका की रिपोर्ट प्राप्त कर , प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 30.8.05 को वादी का वाद पत्र प्राथमिक डिकी किया गया। तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के आदेश की पालना मे मौके पर जाकर बंटवारा स्कीम तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त मौके की स्कीम पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर दावा दिनांक 19.5.06 को फाईनल डिकी किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाटान द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। रेस्पो0 संख्या 1 ता 4 व 33,34 तथा 71,72,73 की और अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पो0 की तलबी हेतु दिनांक 26.01.2023 मे जरिये अखबार [illegible] से कराई गई। बहस उपस्थित उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी गलत एवं अवैध व रिकार्ड के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत वाद पत्र वादी न0 4 भगवान सिह पुत्र भंवर सिह की और से अन्य वादीगण के साथ पेश किया था। वाद पत्र मे वर्णित भूमि मे भगवान सिह पुत्र भंवर सिह के नाम खातेदारी भी दर्ज है, जबकि भगवान सिह नाम का व्यक्ति भंवर सिह का पुत्र नही है। भंवर सिह का पुत्र मोहन सिह है। वादी छाजूराम ने राजस्व रिकार्ड मे दर्ज गलत नाम का बेजा फायदा उठाने की गरज से मोहन सिह की भूमि को हडपने के कारण वाद पत्र भगवा सिह पुत्र भंवर सिह बनकर वाद पत्र व अन्य कागजात पर अपीलांट मोहन सिह के स्थान पर भगवान सिह के फर्जी हस्ताक्षर कर दिये तथा फर्जीयत कर गलत व अवैध रूप से निर्णय व डिकी पारित करा ली गई। अपीलांट मोहन सिह को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की कोई जानकारी नही थी। अधिनस्थ न्यायालय से वादी छाजूराम ने साज कर उसके फर्जी हस्ताक्षर करके निर्णय पारित करवा लिया। अपीलांट भीमसिह ,रिंकू सिह,ललीता सिह जो जस्सूसिह के पुत्र व बेवा है को अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी ना ही कोई जानकारी उनके स्वर्गीय पिता जस्सूसिह ने अपने जीवनकाल मे उन्हे दी गई। उक्त भूमि अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है। जिसमे उनका हक व हिस्सा है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय अपीलांट की बेक पर होने व जानकारी नही होने से निर्णय व डिकी अपास्त योग्य है। प्राथमिक डिकी के पश्चात जो बंटवारा स्कीम पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है वह खिलाफ मौका व रिकार्ड के विपरीत है। बंटवारा स्कीम पर मोहन सिह,मदन सिह तथा अपीलांट के स्व0 पिता जस्सूसिह के कोई हस्ताक्षर नही है और ना ही उनकी जानकारी मे है। बंटवारा स्कीम तैयार समय अपीलांट को कोई नोटिस नही दिया गया है। छाजूराम ने पटवारी से साज कर बंटवारा स्कीम तैयार कराई गई है। अधिनस्थ न्यायालय ने बंटवारा स्कीम ला[illegible] नियुक्त किया था लेकिन बंटवारा स्कीम तहसीलदार टोडाभीम द्वारा तैयार नही की गई [illegible] ना [illegible] तहसीलदार मौके पर पहुँचे है तथा बंटवारा स्कीम पर तहसीलदार के हस्ताक्ष[illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आज्ञापक प्रावधान नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। वादी छाजूराम ने पटवारी से साज कर ख0न0 87 की भूमि को हडपने की गरज से ख0न0 [illegible] रकबा 18 ऐयर को बंटवारा स्कीम मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

अपने नाम डलवा लिया है। जबकि छाजूराम का सम्पूर्ण रकबे पर बववक्त बंटवारा स्कीम या कभी भी कोई कब्जा नही रहा। ख0न0 87 वरबक्त दायरी दावा तथा जमाबंदी सम्वत 2060–63 मे छाजूराम पुत्र शिभूदयाल हिस्सा 1/72 दर्ज है इसी अनुरूप उक्त ख0न0 पर उसका कब्जा था। इस प्रकार बंटवारा स्कीम मौके व रिकार्ड के खिलाफ होने से निरस्त योग्य है। जिस पर विश्वास कर फाईनल डिक्री जारी की है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को नही थी। दिनांक 29.11.18 को अपीलांट अपने खेत पर काम करने गये तो छाजूराम के पुत्र व पत्नि मौके पर आये तथा भूमि पर कब्जा करने पर आमादा हुए तथा निर्माण करने लगे । उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री उनके पक्ष मे होने की जानकारी अपीलांट को दी गई। मौके पर झगडे की रिपोर्ट पुलिस थाने पर दर्ज कराने पर पुलिस द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 को धारा 151 जाप्ता फौजदारी के तहत थाने मे बंद कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी इससे पूर्व अपीलांट को नही थी। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांट पक्षकार नही था। अपीलांट मोहन सिह का इस भूमि मे हक निहित है इसलिए धारा 96 सीपीसी के साथ अपील पेश की गई है। जस्सूसिह,छाजूराम का देहान्त हो चुका है उनके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है इसी प्रकार गिर्राजसिह,मुन्नासिह,करण सिह,गोपाल सिह ,लखन सिह अपीलांट के साथ पक्षकार बनने से तैयार नही होने से उनको रेस्पो0 बनाया गया है। इसी प्रकार अन्य मृतको के विधिक वारिसानो को पक्षकार बनाया गया है। इस प्रकार जानकारी के अभाव मे अपील अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के पेश की गई है। जो स्वीकार योग्य है। अतःअपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अपीलांट द्वारा अपील के मद न0 2 मे यह तथ्य अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र मे भगवानसिह पुत्र भंवरसिह की तरफ से अन्य वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया गया था तथा भगवानसिह नाम का व्यक्ति भंवरसिह के कोई पुत्र नही है। बल्कि भंवर सिह के अपीलांट मोहनसिह एक पुत्र है। और मोहन सिह की भूमि को हडपने के लिए छाजूराम द्वारा भगवान सिह पुत्र भंवरसिह बनकर भगवान सिह के फर्जी हस्ताक्षर कर भगवानसिह पुत्र भंवरसिह के नाम से अधिनस्थ न्यायालय से दिनांक 30.8.05 को प्राथमिक डिक्री करवा लिया और उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलांट को नही थी और छाजूराम द्वारा ख0न0 87 को हडपने के लिए अपने नाम खातेदारी करा ली इसलिए उक्त वादग्रस्त भूमि को अपीलांट मोहनसिह का हित निहित होने से और अपीलांट मोहन सिह द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पेश की गई है। यह कि अदालत मातहत द्वारा फाईनल डिक्री दिनांक 19.5.06 को जारी किये जाने के पश्चात डिक्री की पालना की गई जिसमे अपीलांट न0 3 ता 4 के पिता व 5 के पति जस्सूसिह तथा अपीलांट न0 1 मोहन सिह उर्फ भगवान सिह को मुताबिक बंटवारे मे ख0न0 78/1 रकबा 14 ऐयर जमीन आई जिसका नामा0 अपीलांट के पक्ष मे संख्या 153 खोला गया और अपीलांट न0 1 व 2 ता 5 [illegible] व पति जस्सू सिह द्वारा अपने हिस्से मे आई भूमि ख0न0 78/1 रकबा 14 ऐयर 13/14 हिस्सा [illegible] पुत्र रतनलाल जाति महाजन को दिनांक 15.5.06 व मुकदमा न0 4/05 मे जारी बंटवारे [illegible] प्राप्त की गई भूमि मे अपीलांट न0 1 व 2 ता 5 का कोई हिस्सा नही रहा है। इस प्रकार अपीलांट [illegible] अपील खारिज योग्य है। अपीलांट न0

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

1 स्वयं को न्यायालय के समक्ष मोहन सिह पुत्र भंवर सिह बताकर चल रहा है जबकि मोहन सिह भगवानसिह व मुन्ना सिह एक ही व्यक्ति है। यदि मोहन सिह और भगवान सिह अलग अलग व्यक्ति होते तो भंवर सिह के मरने के बाद भंवर सिह की विरासत के आधार पर खोले गये नामा0 की अपील अपीलांट न0 1 द्वारा नही की गई। क्योकि अपीलांट न0 1 यह बखूबी जानता था कि अपीलाट न0 1 मोहन सिह भगवानसिह व मुन्ना सिह एक ही व्यक्ति है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अपीलांट मोहन सिह द्वारा स्वयं को भगवानसिह होना नही बताकर भगवानसिह नाम का व्यक्ति कोई फर्जी होना बताया है जबकि अपीलांट न0 1 मोहन सिह ,भगवानसिह व मुन्ना सिह तीनो ही नाम एक ही व्यक्ति के है। क्योकि उक्त वादग्रस्त भूमि के सबंध मे न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम के समक्ष प्रस्तुत वाद संख्या 23/2007 उनवानी छाजूराम बनाम शिंभूदयाल मे प्रस्तुत जबाब दावे मे स्वयं मोहन सिह अपीलांट द्वारा अपने हस्ताक्षर भगवानसिह उर्फ मुन्ना सिह अंकित किये है और अपीलाट न0 1 द्वारा न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम के समक्ष प्रस्तुत दीगर प्रकरण संख्या 26/2011 उनवानी मोहन सिह उर्फ भगवानसिह बनाम राजस्थान सरकार मे स्वयं को वाद पत्र के उनवान मे व वाद पत्र के सत्यापन मे व शपथ पत्र मे स्वयं को मोहन सिह उर्फ भगवानसिह दर्ज किया है। इस प्रकार उक्त दोनो ही दस्तावेज न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रतियां है। और अपीलांट के स्वयं के स्वीकृत तथ्य है जिसमे मोहन सिह ,भगवानसिह व मुन्ना सिह तीनो ही नाम एक ही व्यक्ति के है जो भंवरसिह के पुत्र है। अपीलांट संख्या 2 तथा 3 व 4 के पिता व 5 के पति स्व0जस्सू सिह द्वारा रेस्पो0 न0 1 के पति तथा 2 ता 4 के पिता व 5 के बाबा स्व0छाजूराम व अन्य जिसमे भगवानसिह द्वारा अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के समक्ष प्रकरण संख्या 4/05 उनवानी छाजूराम वगै0 बनाम विनोद कोशिक वगै0 बाबत डिवीजन ऑफ होल्डिग का प्रस्तुत किया गया, जिसका निर्णय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम द्वारा दिनांक 30.8.05 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए मुताबिक बंटवारा स्कीम को दिनांक 19.5.06 को फाईनल डिक्री कर दिया गया। उक्त प्रकरण संख्या 4/05 मे अपीलांट के अधिवक्ता श्री कृष्णकांत के पिता श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट वादीगण छाजूराम,गिर्राज सिह,जस्सू सिह,भगवान सिह,बजरंग सिह ,मुन्ना सिह, कल्याण सिह,गोपाल सिह ,प्रताप सिह ,लोगो देवी ,मदन सिह ,लखन सिह के अधिवक्ता रहे है। अपीलांट संख्या 3 व 4 के पिता व 5 के पति स्व0जस्सू सिह एवं भगवान सिह ,गिर्राज सिह एवं बजरंग द्वारा प्रकरण संख्या 4/05 मे पारित फाईनल डिक्री दिनांक 19.5.06 उनवानी छाजूराम बनाम विनोद कौशिक की एक अपील संख्या 139/2007 को न्यायालय हाजा मे पेश की गई थी। जिसे न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 27.3.08 को अपील मियाद बाहर होने से खारिज कर दी गई। जिसकी अपील गिर्राज सिह,भगवानसिह तथा अपीलांट न0 3 व 4 के पिता व 5 के पति जस्सू सिह द्वारा राजस्व मंडल मे अपील संख्या 4441/2008 उनवानी गिर्राज सिह बनाम छाजूराम वगै0 प्रस्तुत की गई जो दिनांक 9.7.09 को अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अपील को आगे नही चलाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उक्त अपील संख्या 4441/2008 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 19.5.06 आदेश वर्तमान प्रकरण हाजा मे राजस्व मंडल अजमेर तक निस्तारण हो चुका है। इस प्रकार न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र मे अंकित मद न0 2 व 3 मे वर्णित तथ्यो एवं न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 27.3.08 एवं राजस्व मंडल अजमेर के निर्णय दिनांक 9.7.09 के तथ्यो को छिपाकर अपीलाट द्वारा अपील प्रस्तुत की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:43:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

है। जिस कारण 11 रेसज्यूडिकेटा के सिद्वान्त पर अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। क्योकि प्रकरण हाजा का निस्तारण न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे दिनांक 27.3.08 को कर दिया गया है। पुनःउक्त प्रकरण की सुनवाई नही की जा सकती है। इस कारण अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना मे नामा0संख्या 153 दिनांक 26.5.06 को खोला जा चुका है। जिसमे छाजूराम द्वारा ख0न0 87 रकबा 18 ऐयर मे से 10 ऐयर भूमि का दुकान निर्माण वाणिज्यिक संपरिवर्तन आदेश उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम से दिनांक 12.3.07 को करा लिया गया। जिसका भी नामा0संख्या 177 दिनांक 17.3.07 पर दर्ज है। शेष बची 8 ऐयर भूमि का भी रूपान्तरण दुकान निर्माण हेतु दिनांक 28.9.15 को करा लिया गया है इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि ख0न0 87 रकबा 18 ऐयर सम्पूर्ण रूप से वाणिज्यिक भूमि मे संपरिवर्तन हो चुकी है और मौके पर वाणिज्यिक प्रयोग मे आ रही है। इसलिए न्यायालय हाजा को सुनवाई का क्षैत्राधिकार नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम द्वारा भूमि ख0न0 87 रकबा 18 ऐयर के बाबत प्रकरण संख्या 23/07 मे अपने निर्णय दिनांक 11.8.11 मे अपीलांट को पाबन्द किया हुआ है। इस कारण अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अपीलांट संख्या 1 तथा अपीलांट संख्या 3 व 4 तथा 3 के पिता जस्सू सिह द्वारा सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम के समक्ष प्रकरण संख्या 23/07 उनवानी छाजूराम बनाम जस्सू सिह वगै0 मे अपीलांट द्वारा अपने जबाब दावा तारीखी 16.8.07 के अतिरिक्त जबाब दावा के मद न0 10 पेज न0 4 मे उपजिला कलेक्टर टोडाभीम के निर्णय दिनांक 30.8.05 प्राथमिक डिक्री व फाईनल डिक्री दिनांक 19.5.06 की राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर मे करना चाहते है तथा अपीलांट नम्बर 1 मोहन सिह ने उक्त जबाब दावे में स्वयं को भगवानसिह उर्फ मुन्ना सिह दर्ज करते हुए हस्ताक्षर किये है। जबकि अपीलांट नम्बर 1 द्वारा अपनी अपील मे स्वयं को मोहन सिह बताता है। और अपील के मद न0 2 मे भगवानसिह पुत्र भंवर सिह नाम का कोई व्यक्ति नही होना बताया इस प्रकार उक्त अपील के मद न0 2 के पेज न0 6 मे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी नही होना बताते है। जबकि सिविल न्यायालय के प्रकरण संख्या 23/07 के जबाब दावा तारीख 16.8.07 के अतिरिक्त जबाब दावा के मद न0 10 मे उक्त निर्णय व डिक्री की तारीख 30.8.05 व 19.5.06 न्यायालय हाजा मे अपील प्रस्तुत किया जाना स्वीकार किया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा न्यायालय को गुमराह कर न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे किये गये निर्णय को छिपाते हुए रेस्पो0 संख्या 1 ता 6 की भूमि को हडपने के लिए न्यायालय के समक्ष गलत एवं झूठे तथ्य शपथ पत्र के साथ अपील पेश की गई है। इसलिए अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। अतःअपीलांट की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत [illegible] धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की गई है। क्योकि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय [illegible] होने का कथन किया है साथ ही अपीलांट द्वारा अपील के साथ मियाद अधिनियम [illegible] तहत प्रार्थना पत्र धारा 5 संलग्न किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील से संबंधित विवाद पूर्व मे न्यायालयो द्वारा निर्णित किये जा चुके

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

है। प्रस्तुत अपील मे विवाद का मुख्य बिन्दु ख0न0 87 रकबा 18 ऐयर जो वादी छाजूराम द्वारा अपने बंटवारे मे दर्ज कराना अपीलांट ने बताया है, पर मुख्य बिवाद है। चूकि भूमि ख0न0 87 रकबा 18 ऐयर के बाबत न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट टोडाभीम द्वारा प्रकरण संख्या 23/07 मे पारित निर्णय दिनांक 11.8.2011 के द्वारा अपीलांट के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर अपीलांट को पाबन्द किया हुआ है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है अपील के साथ संलग्न धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र मे भी डिले का कोई विधिक कारण का उल्लेख अपीलांट द्वारा नही किया गया है। जिसके आधार पर डिले को कण्डोन किया जा सके साथ ही विवादित आराजीयात ख0न0 87 रकबा 18 ऐयर मे से 10 ऐयर भूमि का दुकान निर्माण वाणिज्यिक संपरिवर्तन उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम से दिनांक 12.3.07 को करवाने पर उसका नामा0संख्या 177 दिनांक 17.3.2007 दर्ज हो चुका है इसी प्रकार शेष 8 ऐयर भूमि का दुकान निर्माण वाणिज्यिक संपरिवर्तन उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम से दिनांक 28.9.15 को हो चुका है। इस प्रकार उक्त भूमि वाणिज्यिक भूमि मे संपरिवर्तन हो चुकी है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से प्राप्त बंटवारा स्कीम के आधार पर दावा वादी विधिक रूप से डिक्री किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। चूकिः विवादित आराजीयात मे से भूमि ख0न0 87 रकबा 18 ऐयर सम्पूर्ण ही वाणिज्यिक संपरिवर्तन हो चुकी है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने एवं अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट सारहीन एवं मियाद बाहर होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम के मु0नं0 4/2005 निर्णय व डिक्री दिनांक 19.5.06 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:13:15 IST
Reason: SelfAttested